कार्यवृत्त

पूर्व सूचना के आधार पर दिनांकः 28.08.2025 को कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 01:30 बजे से जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी/जिला स्वच्छता समिति, संत कबीर नगर की बैठक जिलाधिकारी महोदय, संत कबीर नगर की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहेः-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	अपाध्यक्ष
3.	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सदस्य
4.	जिला पंचायतराज अधिकारी	सचिव/सदस्य
5	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
6.	प्रतिनिधि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8.	प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
9.	जिला कार्यक्रम अधिकारी,	सदस्य
10.	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य

पूर्व निर्धारित सूचना के आधार पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिनांकः 28.08.2025 को अपरान्ह 01:30 बजे से जिला पंचायतराज अधिकारी, संत कबीर नगर द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अध्यक्ष महोदय सहित समस्त सदस्यगण द्वारा बिन्दुवार कार्यवाही पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1- **एजेण्डा विन्दु 01:-पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टिः- (क)-** पिछली बैठक दिनांकः 04.07.2025 की कार्यबृत्त उपस्थित सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया, जिसकी पुष्टि सभी सदस्यों द्वारा किया गया एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः-

ख- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया, कि जनपद में निर्मित समस्त सामुदायिक शौचालयों के क्रियाशीलता का सत्यापन सहायक विकास अधिकारी (पं0), खण्ड प्रेरक एवं परामर्शी अभियन्ता के माध्यम से 10 दिन में पूर्ण कराये जाये तथा शत प्रतिशत सत्यापन को बुकलेट के रूप में तैयार करके प्रस्तुत किया जाए। सत्यापन के समय सत्यापनकर्ता का केयर टेकर के साथ फोटोग्राफ लगाया जाए। निर्मित सामुदायिक शौचालय के 5 प्रतिशत का सत्यापन उच्चाधिकारियों द्वारा कराया जाएगा।

ग- जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्षः 2025-26 में अबतक 19110 व्यक्तिगत शौचालयों के आवदेन प्राप्त हुए है। जिसके सापेक्ष 13921 का सत्यापन कराया जा चुका है, जिसमें से 11852 के भारत सरकार की पोर्टल पर अप्रुवल एवं रिजेक्शन का कार्य कराया जा चुका है। शेष 7258 के सत्यापन हेतु विकास खण्डों को सूची प्रेषित कर दी गयी है। इस पर निर्देशित किया गया कि सहायक विकास अधिकारी (पं0) के द्वारा सत्यापन एक सप्ताह में पूर्ण कराया लिया जाए।

घ- एक गढ्डे वाले शौचालयों को दो गढ्डे में परिवर्तित करने हेतु एस0बी0एम0जी0 पोर्टल पर अपलोड 1508 लाभार्थियों के स्वच्छ भारत कोष में प्राप्त धनराशि से शौचालय के रेट्रोफिटिंग हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी थी, जिसपर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था कि सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से सत्यापन कराते हुए पात्र लाभार्थियों को धनराशि अंतरित किया जाए। जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

अवगत कराया गया कि सत्यापन करा लिया गया है 1508 के सापेक्ष 316 लाभार्थी पात्र पाये गये है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 316 लाभार्थियों के धनराशि अंतरण हेतु पत्रावली आज प्रस्तुत किया जाए।

च– विकास खण्ड–बेलहर कलां के ग्राम पंचायत– कुड़ीमनमन में एक अदद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट की स्थापना हेतु प्रस्ताव विकास खण्ड से प्राप्त हो चुका है एवं उप जिलाधिकारी–मेंहदावल को भूमि नामान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उप जिलाधिकारी–मेंहदावल एवं अपर जिलाधिकारी, संत कबीर नगर से समन्वय स्थापित कर भूमि नामान्तरण का प्रस्ताव सोमवार तक उपलब्ध कराया जाए।

छ– एक अदद फीकल स्लज मैनेजमेन्ट के स्थल चयन हेतु उप जिलाधिकारी–मेंहदावल से पत्राचार किया गया है के सम्बन्ध मे निर्देशित किया गया कि उप जिलाधिकारी–मेंहदावल एवं अपर जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि के चिन्हांकन करा लिया जाए।

ज– जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत स्थापित वार रूम हेतु जेम पेार्टल के माध्यम से 02 अद्द कम्प्यूटर सेट (डेस्कटॉप) एवं एक अद्द प्रिन्टर अविलम्ब क्रय कर लिया जाए। यदि किसी प्रकार की तकनीकि समस्या आ रही है तो उसके लिए ई0डी0एम0 से समन्वय स्थापित कर समस्या को दूर कराते हुए क्रय की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाए। *(कार्यवाही: SBM योजना सहायक/लेखाकार)*

झ– जिला पंचायतराज अधिकारी ने समिति को अवगत कराया गया कि जनपद में 72 आर0आर0सी0 के निर्माण हेतु भूमि अनुपलब्ध थी, के निर्माण कराये जाने के लिए भूमि की उपलब्धता हेतु संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है। जिसमें से तहसील खलीलाबाद एवं मेंहदावल से आंशिक ग्राम पंचायतों का भूमि चिन्हांकन की सूचना उप जिलाधिकारी के स्तर से प्रेषित की गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 03 तहसील के उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब भूमि का चिन्हांकन सुनिश्चित करा लिया जाए।

(कार्यवाही: जिला सलाहाकार, SLWM)

2– एजेण्डा विन्दु 02:–एक यूनिट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट के स्थल चयन एवं मिशन कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषण पर विचार–जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड–बेलहर कलां के ग्राम पंचायत कूडीमनमन, तहसील–मेंहदावल में स्थापित किये जाने हेतु स्थल का चिन्हांकन एवं प्रस्ताव सहायक विकास अधिकारी (पं0)–बेलहरकलां के माध्यम से जनपद को प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उप जिलाधिकारी–मेंहदावल एवं अपर जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के निर्माण हेतु आवंटित भूमि का नामान्तरण कराते हुए प्रस्ताव मिशन कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही: जिला सलाहाकार, SLWM)

3– एजेण्डा विन्दु 03: एफ.एस.एम. (फीकल स्लज मैनेजमेन्ट) के स्थल चयन एवं मिशन कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषण पर विचार– जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि भूमि के चिन्हांकन हेतु अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय के स्तर से समस्त खण्ड विकास अधिकारी को सम्बन्धित को पत्राचार किया गया है। जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया उप जिलाधिकारी–मेंहदावल के उप जिलाधिकारी–मेंहदावल एवं अपर जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि के चिन्हांकन कराते हुए धन आवंटन हेतु प्रस्ताव मिशन कार्याल को अविलम्ब प्रेषित किया जाए। *(कार्यवाही: जिला सलाहाकार, SLWM)*

Scanned with OKEN Scanner

4– एजेण्डा विन्दु 04: प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं गोबरधन ईकाईयों की क्रियाशीलता व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागी नामित किये जाने पर विचारः–जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया, कि जनपद में 02 अदद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट ईकाई एवं 01 अदद गोबरधन ईकाई का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। उपरोक्त निर्मित ईकाईयों के संचालन हेतु मिशन निदेशक महोदय, के पत्र के क्रम में जनपद से जिला सलाहकार (एस0एल0डब्लू0एम0), खण्ड प्रेरक, ग्राम पंचायत सचिव, परामर्शी अभियन्ता, संचालक, सफाईकर्मी को नामित एवं प्रशिक्षित किया जाने हेतु पत्र मिशन निदेशक कार्यालय को प्रेषित कर दिया है। जिस पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी। *(कार्यवाही: जिला सलाहाकार, SLWM)*

5–एजेण्डा विन्दु 05: रेट्रोफिटिंग सर्वे की प्रगति बढ़ाये जाने पर विचार–जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि रेट्रोफिटिंग हेतु लक्षित कुल 120713 शौचालयों के सापेक्ष 67428 शौचालयों को पूर्ण करा लिया गया है, जिसका प्रतिशत 55.86 है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि रेट्रोफिट शौचालयों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इनके कार्यो को लक्ष्य को पूर्ण कराया जाए।

(कार्यवाही: जिला सलाहाकार, MIS)

अन्य कोई बिन्दु न होने की स्थिति में बैठक सधन्यवाद समाप्त कर दी गई।

(आलोक कुमार)
जिलाधिकारी
संत कबीर नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।

पत्रांकः 2257 /7–पं0/स्व0भा0मि0–ग्रा0/कार्यवृत्ति/2025–26 दिनांकः 8 | ~~जुलाई~~ सितम्बर, 2025

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
2. समस्त सदस्यगण, जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी/जिला स्वच्छता समिति, संत कबीर नगर।
3. उपनिदेशक (पं0), बस्ती, मण्डल–बस्ती।

जिलाधिकारी
संत कबीर नगर।

Scanned with OKEN Scanner